आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 23/13** **सुरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 518 दिनांक 27.2.13 के विरूद्व दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 18.2.13 को अमनौर प्रखंड के कोरेयां पंचायत के कोरेयां बाजार पर अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा की अध्यक्षता में आयोजित जन अदालत में सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 61/07, पंचायत–कोरेयां प्रखंड–अमनौर की दूकान से सम्बद्व कई उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्व लिखित बयान दिया गया, जो निम्न प्रकार से है: 1. आपके द्वारा किरासन तेल 2.75 लीटर के बदले 2.50 लीटर देकर 50 रूपये की वसूली की जाती है। 2. बी.पी.एल. योजना में 25 किलो के बदले 20 किलो ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कर 150 रूपये एवं 160 रूपये की वसूली की जाती है। 3. अन्त्योदय योजना में 35 किलो के बदले 30 किलो देकर 110 रूपये की वसूली की जाती है। 4. आपके द्वारा कूपन रख लिया जाता है और राशन–किरासन की आपूर्ति नहीं की जाती है। 5. माह दिसम्बर 2012 में सिर्फ चावल का ही वितरण किया गया है और गेहूँ और चावल का दोनों कूपन रख लिया गया है।	

उक्त अनियिमतता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 429 दिनांक 19.2.13 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्व स्थानीय मुखिया के द्वारा पूर्व से चली आ रही कुछ पुरानी दुश्मनी की वजह से एक सुनियोजित साजिश के तहत कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनसे झूठा लिखित बयान दिलवाकर शिकायत की गयी है। अपीलकर्त्ता के द्वारा विभाग से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर पर सामानों की आपूर्ति की जाती है। इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कूपन के विरूद्व समानों की आपूर्ति की जाती है। किसी सी भी जबरन कूपन नहीं लिया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया!

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या पारित अदेश में कहीं भी शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे लगाया जाने वाला आरोप स्पष्ट नहीं हो पाता है। यह उचित था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी अपीलकर्त्ता की दूकान से संबंधित कागजात मॅगवाकर उसकी जॉच करते एवं यदि उसमें कोई अनियमितता पायी जाती, तो उनके विरूद्व कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 59 दिनांक 29/01/2015

प्रतिलिपि – SDO मढ़ौरा / DSO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा
29/1/15